

आगे की राह

- **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को मज़बूत करना:** लोकायुक्त को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने हेतु लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये, जैसे कभिख्यमन्त्री एवं न्यायपालिका सहित सभी लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच तथा मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान करना।
- **पर्याप्त संसाधन और कर्मचारियों की न्युक्ति:** देश भर में लोकायुक्त कार्यालयों को पर्याप्त रूप से कर्मचारियों और संसाधनों की आवश्यकता है जिससे वे अपने जनादेश को प्रभावी ढंग से लागू करा सकें।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि:** लोकायुक्त को अपने कामकाज़ में अधिक जवाबदेही के साथ पारदर्शिता बनाई रखनी चाहिये। उसे नियमि रूप से अपनी गतविधियों, जाँच एवं परणामों पर रपिोर्ट प्रकाशित करनी चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/lokayukta-6>

